"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मई 2022 — वैशाख 28, शक 1944

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2022

अधिसूचना

क्र. एफ–5–21/2019/18 .– छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन 1956) की धारा 37 एवं धारा 73 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 70 सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 5 के उप–नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) विभिन्न प्राधिकारियों में निम्नानुसार वित्तीय अधिकार वेष्ठित होंगे :–

(एक) नगरपालिक निगम की स्थिति में–

तालिका

स. क्र.	प्राधिकारी	जनसंख्या		
		दस लाख से अधिक	तीन लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अनधिक	तीन लाख तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगरपालिक आयुक्त	रूपये 1.50 करोड़ तक	रूपये 1.00 करोड़ तक	रूपये 50 लाख तक
2.	मेयर–इन– काउंसिल	रूपये 1.50 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 6.00 करोड़ से अनधिक	रूपये 1.00 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 3.00 करोड़ से अनधिक	रूपये 50 लाख से अधिक किन्तु रूपये 2.00 करोड़ से अनधिक
3.	निगम	रूपये 6.00 करोड़ से अधिक किन्तु 10.00 करोड़ से अनधिक	रूपये 3.00 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 10.00 करोड़ से अनधिक	रूपये 2.00 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 6.00 करोड़ से अनधिक

(दो) नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत की स्थिति में –

तालिका

स. क्र.	प्राधिकारी	नगरपालिका परिषद		नगर पंचायत
		जनसंख्या पचास हजार या उससे अधिक	जनसंख्या पचास हजार से कम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	रूपये 2 लाख तक	रूपये 1 लाख तक	रूपये 50 हजार तक
2.	प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल	रूपये 2 लाख से अधिक किन्तु रूपये 60 लाख से अनधिक	रूपये 1 लाख से अधिक किन्तु रूपये 30 लाख़ से अनधिक	रूपये 50 हजार से अधिक किन्तु रूपये 20 लाख से अनधिक
3.	परिषद	रूपये 60 लाख से अधिक किन्तु 4.00 करोड़ से अनधिक	रूपये 30 लाख से अधिक किन्तु रूपये 2.50 करोड़ से अनधिक	रूपये 20 लाख से अधिक किन्तु रूपये 1.50 करोड़ से अनधिक

(2) ऐसे प्रकरणों में, जहां व्यय, निगम या परिषद या नगर पंचायत की वित्तीय शक्ति से अधिक अन्तर्वलित हो, जैसा किउप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट है, वहां राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।''

2. नियम 5 के उप–नियम (3) का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2022

क्र. एफ 5–21/2019/18 .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–21/2019/18 दिनांक 18–05–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 18th May 2022

NOTIFICATION

No. F.5-21/2019/18 . – In exercise of the powers conferred by Section 37 and Section 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Section 70 read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the Powers and Functions of the Authorities) Rules, 1998 namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) and (2) of rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Financial powers shall be vested in the various authorities as under :-

(i) In the case of Municipal Corporation :-

TABLE

S. No.	Authority	Population		
		More than ten lacs	More than three lacs but not more than ten lacs	Upto three lacs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Municipal Commissioner	Upto Rs.1.50 crore.	Upto Rs.1.00 crore.	Upto Rs.50 lacs.
2.	Mayor-in-Council	More than Rs. 1.50 crore, but not exceeding Rs.6.00 crores.	More than Rs. 1.00 crore, but not exceeding Rs.3.00 crores.	More than Rs.50 lacs, but not exceeding Rs.2.00 crores.
3.	Corporation	More than Rs. 6.00 crores, but not exceeding Rs.10.00 crores.	More than Rs. 3.00 crores, but not exceeding Rs.10.00 crores.	More than Rs. 2.00 crores, but not exceeding Rs.6.00 crores.

(ii) In the case of Municipal Council and Nagar Panchayat :-

TABLE

S. No.	Authority	Municipal Council		Nagar Panchayat
		Population fifty thousands or more	Population less than fifty thousands	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chief Municipal Officer	Upto Rs. 2 lacs.	Upto Rs. 1 lac.	Upto Rs. 50 thousand.
2.	President-in-Council	More than Rs.2 lacs but not exceeding Rs.60 lacs.	More than Rs.1 lac but not exceeding Rs.30 lacs.	More than Rs.50 thousand but not exceeding Rs.20 lacs.
3.	Council	More than Rs.60 lacs but not exceeding Rs.4.00 crores.	More than Rs.30 lacs but not exceeding Rs.2.50 crores.	More than Rs.20 lacs but not exceeding Rs.1.50 crore.

(2) In matters where the expenditure involved exceeds the financial powers of the Corporation or the Council or Nagar Panchayat as specified in sub-rule (1), prior sanction of the State Government shall be necessary."

2. Sub-rule (3) of rule 5 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.